कार्यालय : प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।

पत्रांक : 5350 /14–16 जौनपुर : दिनांक : जून, , 2023।

सेवा में,

वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी।

विषयः– पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा औड़िहार–जौनपुर रेलवे सेक्शन के अतंर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद गाजीपुर (किमी0 1.900 से 10.900 तक) में प्रभावित 6.50572 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 9 वृक्षों/पौधों के पातन तथा जनपद जौनपुर में (किमी0 10.900 से 57.400 तक) प्रभावित 43.41704 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1337 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति अर्थात कुल 49.92276 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1346 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक–11/1092 आर0ई0सी0/2014/यू0पी0/140 दिनांक 27.05.2023 एवं पत्रांक–सं0–8बी/यू0पी0/07/118/2021/एफ0सी0/173 दिनांक 09.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बैठक में दिनांक 30.05.2023 को अवगत कराया गया था कि रेलवे स्वामित्व की भूमि जिसे राज्य सरकार द्वारा संरक्षित वन घोषित किया गया है, तथा रेलवे के राइट आफ वे के अन्तर्गत पड़ती है, पर रेलवे एक्ट 1989 की धारा–11 के अनुसार रेल विभाग की परियोजनाओं के निष्पादन एवं अनुरक्षण किये जाने हेतु वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 की धारा–2 के प्राविधान आकर्षित नहीं होगें। इन परियोजनाओं हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत वन विभाग से अनुमति लिये जाने की आवश्यकता नहीं है। जिसके क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मानचित्र व प्रमाण पत्र को गाजीपुर वन प्रभाग ने अपने पत्रांक 3619/22–1 दिनांक 27.06.2023 द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रेषित किया गया है।

अतः प्रस्तावक विभाग तथा गाजीपुर वन प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्र व प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर (5 प्रतियों में) संलग्नकर आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रवीन खरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,जौनपुर।

संख्या–5350 / समदिनांक।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ, महोदय को उक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र, उ0प्र0 प्रयागराज, महोदय को उक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

(प्रवीन खरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,जौनपुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ,गाजीपुर।

पत्रांक- 3612 / 22-1 दिनांक गाजीपुर, 27-6- 2023

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
जौनपुर।

विषय- पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा औड़िहार-जौनपुर रेलमार्ग रेलवे सेक्शन के अन्तर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद गाजीपुर में (किमी0 1.900 से 10.900 तक) में प्रस्तावित 6.50572 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 09 वृक्षों/पौधों के पातन तथा जनपद जौनपुर में (किमी0 सं0-10.900से 57.400 तक) में प्रभावित 43.41704 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 1337 वक्षों/पौधों के पातन अर्थात कुल प्रभावित 49.92276 हे0 संरक्षित वन भूमिएवं बाधक 1346 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक-11/1092 आर0ई0सी0/2014/यू0पी0/140 दिनांक 27.05.2023 एवं पत्रांक-सं0-8बी यू0पी0/07 /118/2021/एफसी/173 दिनांक 09.6.2023

महोदय

उपरोक्त संदर्भित पत्र पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बैठक में दिनांक 30.05.2023 को अवगत कराया गया था। रेलवे स्वामित्व की भूमि जिसे राज्य सरकार द्वारा संरक्षित वन घोषित किया गया है, तथा रेलवे के राइट आफ वे के अन्तर्गत पड़ती है, पर रेलवे एक्ट 1989 की धारा-11 के अनुसार रेल विभाग की परियोजनाओं के निष्पादन एवं अनुरक्षण किये जाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के प्राविधान आकर्षित नहीं होंगे। इन परियेजनाओं हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत वन विभाग से अनुमति लिये जाने कि आवश्यकता नहीं है। जिसके कम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रमाण पत्र प्रेषित कि गयी है।

अतः प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र (5 प्रतियों में) संलग्नकर आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित।

संलग्नक उपरोक्तानुसार

भवदीय

(प्रदीप)
प्रभागीय निदेशक
सा0वा0प्रभाग, गाजीपुर

पत्रांक- 3624 / समदिनांक।

प्रतिलिपि- उक्त के कम में निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
2. वन संरक्षक वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
3. उप मुख्य अभियन्ता/निर्माण/पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी।

(प्रदीप)
प्रभागीय निदेशक
सा0वा0प्रभाग, गाजीपुर।

Scanned with OKEN Scanner

निर्माण /रखरखाव सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि औडिहार – जौनपुर (पूर्वोत्तर–रेलवे) सेक्शन के अन्तर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरी करण में जनपद गाजीपुर (किमी 1.90 से 10.90 तक) में प्रभावित 6.50572 हे0 संरक्षित वन भूमि तथा जनपद जौनपुर में (किमी 10.90 से 57.400 तक) प्रभावित 43.41704 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 49.92276 हे0 संरक्षित वन भूमि में प्रजेक्ट का निर्माण (औडिंहार – जौनपुर दोहरीकरण) पूर्वोत्तर रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर मौजुदा ट्रैक के समानान्तर किया जाना है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
जौनपुर

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
गाजीपुर

प्रवीण कुमार मिश्रा
अवर अभियंता/कार्य/निर्माण/वी०एस०डी०
वाराणसी

(प्रवीन कुमार मिश्रा)
अवर अभियन्ता/निर्माण/वाराणसी
पूर्वोत्तर–रेलवे

Scanned with OKEN Scanner

भू – स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि औडिहार – जौनपुर (पूर्वोत्तर–रेलवे) सेक्शन के अन्तर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरी करण में जनपद गाजीपुर (किमी 1.90 से 10.90 तक) में प्रभावित 6.50572 हे0 संरक्षित वन भूमि तथा जनपद जौनपुर में (किमी 10.90 से 57.400 तक) प्रभावित 43.41704 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 49.92276 हे0 संरक्षित वन भूमि का स्वामित्व पूर्ण रूप से पूर्वोत्तर रेलवे के पास है। इस भूमि में कोई अन्य विभाग सम्मिलित नहीं है और न ही यह भूमि लीज पर ली गयी है।

संलग्न :– प्राचिन मानचित्र तीन कापी संलग्न है।

प्रवीण कुमार मिश्रा
अवर अभियंता/कार्य/निर्माण/पू०रे०वे०
वाराणसी
(प्रवीन कुमार मिश्रा)
अवर अभियन्ता/निर्माण/वाराणसी
पूर्वोत्तर–रेलवे

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
जौनपुर

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
गाजीपुर

Scanned with OKEN Scanner